क्रम सं॰	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	लम्बाई (कि॰मी॰)
17.	मेघालय	1	133
18.	मिज़ोरम	3	441
19.	नागालैंड	1	220
20.	उड़ीसा	4	837
21.	पांडिचेरी	2	104
22.	पंजाब	5	980
23.	राजस्थान	5	1709
24.	सिक्किम	1	30
25.	तमिलनाडु	16	3355
26.	त्रिपुरा	1	135
27.	उत्तर प्रदेश	4	1856
28.	पश्चिम बंगाल	7	530
		135	39388

एल॰पी॰जी॰/पेट्रोल बिक्री केन्द्रों का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का आवंटन

235. **श्री रामजी लाल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल एलपीजी एजेन्सियों और पेट्रोल स्टेशनों/बिक्री केन्द्रों का कितना प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है;

(ख) क्या सरकार यह सुविधा देश में अन्य पिछड़े वर्गों को भी उपलब्ध करायेगी जोकि देश की जनसंख्या के 27 प्रतिशत हैं, और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) विद्यमान नीति के मुताबिक तेल चयन बोर्डों के माध्यम से आवंटित की गई डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

(ख) और (ग) वर्तमान में डीलरशिपों/-डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए अलग से कोई आरक्षण उपलब्ध कराना व्यवहार्य नहीं है। वे आरक्षण प्रणाली के अन्तर्गत विद्यमान श्रेणियों के अधीन अवसरों से लाभ उठा रही हैं।

कमांडो के प्रशिक्षण में दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टरों की अनुपस्थिति

236. **श्री नागमणि:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस में कमांडों का प्रशिक्षण ले रहे 147 सब-इंस्पैक्टर अनुपस्थित पाये गये हैं;